

अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के 'ओ' लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर
प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. वित्तीय वर्ष—
.....
 2. जनपद का नाम—
.....
 3. प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है—
(‘ओ’ लेवल/सी.सी.सी.).....
 4. (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्था का नाम एवं पता—
.....
.....
.....
 5. प्रशिक्षार्थी का नाम—
.....
 6. पिता/पति का नाम—
.....
 7. लिंग—पुरुष/स्त्री.....
 8. (क)स्थायी पता—
.....
.....
(ख) पत्र व्यवहार का पता—
.....
.....
 9. जन्मतिथि (हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर).....
 10. हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष..... बोर्ड.....
..... अनुक्रमांक.....
 11. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष..... बोर्ड.....
..... अनुक्रमांक.....
 12. जाति/उपजाति..... धर्म.....
जाति प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....
 13. माता-पिता/पति की सभी श्रोतों से वार्षिक आय (रू0 में).....
आय प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....
(यदि माता/पिता जीवित न हो तो विधिक अभिभावक की वार्षिक आय)
 14. क्या पूर्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की किसी योजना का लाभ प्राप्त किया है यदि हाँ, तो योजना का नाम.....
 15. वर्तमान में यदि कहीं अध्ययनरत हैं तो उल्लेख करें—
 16. प्रशिक्षणार्थी की आधार संख्या—
- नोट:—1—पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के 'ओ' लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत रू0 01 लाख वार्षिक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से आय सीमा में आने वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य है।
2—क्रमांक 9, 10, 11, 12 एवं 13 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनायें सही हैं, मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ तथा मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न जाति, आय व शैक्षिक प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत/फर्जी पाये जाते हैं अथवा मेरे द्वारा प्रशिक्षण अधूरा छोड़ा जाता है, तो कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना की सम्पूर्ण धनराशि वापस कर दूंगा/दूंगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

स्थान-

दिनांक-

समय-

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर